संख्याः 02/2017 /50/ सत्रह-म- 2016 -।।-।-अ-(4)/2006

प्रेषक

दीनानाथ गुप्ता
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
मत्स्य निदेशालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 जनवरी 2017

विषय अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक - 2405 मछली पालन - आयोजनेत्तर - 190 सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता योजनान्तर्गत (द्वितीय किश्त) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 71 ले0शा0/बजट /2016 -17 दिनांक 25/10/2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनेत्तर - 190 - सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (जिला योजना) (के075/रा025के0+रा0) की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 11/2016/ 812/ सत्रह-म-2016- ।।- 1-अ (4)/ 2006 दिनांक 03 मई 2016 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनेत्तर- 190 - सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (जिला योजना) (के075/रा025के0 +रा0) की मानक मद 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत अवशेष ध्नराशि रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार श्री राज्यपाल महोदय आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

3- शासनादेश संख्या 11/2016/ 812/ सत्रह-म-2016- ।।- 1-अ (4)/ 2006 दिनांक 03 मई 2016 में दी गयी शर्ते यथावत लागू रहेगीं।

4- उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनेत्तर - 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं 0101- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता (जिला योजना) के075/रा0 25- के0+रा0) की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)के सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग- 2 के अशासकीय पत्र संख्या- /ई-2-1105/दस- 2016 दिनांक 06-01-2017 द्वारा प्राप्त सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(दीनानाथ गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या: 02/2017/50(1)/ सत्रह-म-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय – नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल़ द्विवेदी)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh up.nic.com